फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्रीमती कमला देवी पुत्री/पत्नि त्रिलोक सिंह निवासी नया घर थानेटा तहसील भीम जिला राजसमन्द **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम **– प्रत्यर्थी**

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 115/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 22.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी पत्र क्रमांक :–प0सू.अ.05/2025/3330–3331 दिनांक 12.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील अपीलार्थी श्रीमती कमला देवी पुत्री/पत्नि त्रिलोकसिंह निवासी नया घर थानेटा तहसील भीम जिला राजसमन्द प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम के संबंध में आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 244857337891570 प्रस्तुत कर श्री तिलोकसिंह पटवारी के निलबंन संबंधित आदेश दिनांक 11.01.1993 की सूचना चाही गई। प्रस्तुत आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पुरानी होने से कार्यालय मे उपलब्ध रेकार्ड अनुसार तलाश करवायी जा रही है। वांछित सूचना मिलने पर आवेदक को उपलब्ध करवा दी जायेगी। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना पुरानी होने से कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड तलाश करवायी जा रही है। वांछित सूचना मिलने पर आवेदक को उपलब्ध करवा दी जायेगी। उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक प0सू. अ.05/2025/3330–3331 दिनांक 12.12.2025 से अपीलार्थी को सूचित	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किया गया है।

अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना के संबंध में कमेटी का गठन कर कमेटी की रिपोर्ट से अपीलार्थी व इस न्यायालय को सूचित करे।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीम को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद